फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत   जिला कलक्टर   मुकाम   धौलपुर

अशोक सिंघल   बनाम   सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005   मुकदमा नम्बरः– 4 सन् 2020
RCMS No. 2020/00009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
02.03.20	यह प्रथम अपील. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अशोक सिंघल आर.टी.आई.कार्यकर्ता लाल बाजार धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेसपोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 23.03.2020 को पेश हो। (आर० के० जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	95-96 4.3.2020
8.7.2020	कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.01.2020 को आवेदन किया, जिसके संबंध में पत्रांक 534 दिनांक 17.02.2020 के द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6 की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु संख्या 3 के संबंध में पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी। अपीलान्ट को सूचना देने में कोई देरी नहीं की गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलान्ट को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार हो बाद तकमील शामिल दफ्तर हो- मिसल [illegible] जमा किया जावे। (आर० के० जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	